

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2018/500

दिनांक: 31/12/2018

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री दयाराम गोठवाल वरिष्ठ रेडियोग्राफर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड़, सिरोही।	10.6.1959	30.6.2019

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2018/500

दिनांक: 31/12/2018

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूरोड़, सिरोही।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर